न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 79/2017

1. सुमन देवी पुत्री जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. दिनेश पुत्र जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

आवेदकागण

बनाम

1. जीवणराम पुत्र नाराण राम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. मंजूदेवी पुत्रीयां जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
3. लीलावती पुत्रीयां जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. नवल पुत्रीयां जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. विकेश पुत्र जीवणराम जाति कुमावत निवासी गुढागोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
7. उप पंजीयक उप तहसील गुढागोड़जी जिला झुन्झुनू

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30-8-2017

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण ने एक उनवानी वाद बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.5662 है0 अवस्थित है, जिसको प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। ग्राम गुढागोड़जी में जीवणराम नामक एक व्यक्ति है जिसने दो विवाह किये प्रथम विवाद विमलादेवी नामक स्त्री से किया था जिसके आवेदकगण पैदा हुए। विमलादेवी की मृत्यु के बाद जीवणराम ने भंवरीदेवी नामक स्त्री से विवाह किया जिसके अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 पैदा हुए। विवादित भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदकगण का हिस्सा 1/6 है। आवेदकगण की माता के देहान्त होने पर जब दुसरा विवाह किया तो उस समय सामाजिक बैठक में तय किया था कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा मैं आवेदकगण को दे दुंगा। आवेदकगण का पालन पोषण भी आवेदकगण की दादी छोटी द्वारा किया गया था। अनावेदकगण संख्या 1 आवेदकगण को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदकगण का भी हक व हिस्सा है। अनावेदक संख्या 1 से जब भूमि के बाबत बात की तो वे भड़क गये तथा कहा कि इस भूमि में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्णिय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अंत में निवेदन किया है कि अनावेदगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.5662 है0 का विकय, रहन, नहीं करें। आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डालें तथा तादौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

अनावेदकगण सेख्या 1 लगायत 5 ने जरिये वकील जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है। मद संख्या 2 स्वीकार है। मद संख्या 3 लगायत 6 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। आवेदकगण का पालन पोषण विवाह आदि अनावेदक संख्या 1 ने ही किया है। मद संख्या 7 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। मद संख्या 8 अस्वीकार है। राजस्व रिकार्ड अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्ज है। एक रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदकगण उक्त अराजियात के खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। मद संख्या 9 अस्वीकार है आवेदगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है । प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर होने के कारण आवेदकगण को अपूर्णिय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। मद संख्या 10 में चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि विवादित भूमि का एक मात्र खातेदार अनावेदक संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है। अनावेदक संख्या 1 एक गरीब व्यक्ति है जो उक्त भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाकर उक्त भूमि में आवश्यक सुधार करना चाहता है ताकि उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आवेदकगण ने वादपत्र गलत आधारों पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का किया है, जबकि इनका पैत्रिक हिस्सा 1/7– 1/7 बनता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.5662 है0 अवस्थित है। ग्राम गुढागोड़जी में जीवणराम नामक एक व्यक्ति है जिसने दो विवाह किये प्रथम विवाद विमलादेवी नामक स्त्री से किया था जिसके आवेदकगण पैदा हुए। विमलादेवी की मृत्यु के बाद जीवणराम ने भंवरीदेवी नामक स्त्री से विवाह किया जिसके अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 पैदा हुए। विवादित भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदकगण का हिस्सा 1/6 है। आवेदकगण की माता के देहान्त होने पर जब दुसरा विवाह किया तो उस समय सामाजिक बैठक में तय किया था कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा मैं आवेदकगण को दे दुंगा। आवेदकगण का पालन पोषण भी आवेदकगण की दादी छोटी द्वारा किया गया था। अनावेदकगण संख्या 1 आवेदकगण को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहता है। जबकि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदकगण का भी हक व हिस्सा है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्णिय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होती है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.5662 है0 का विक्रय, रहन, नहीं करें। आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डालें तथा तादौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

बहस के दौरान अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 के वकील ने प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि आवेदकगण का पालन पोषण विवाह आदि अनावेदक संख्या 1 ने ही किया है। प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। राजस्व रिकार्ड अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्ज है। एक रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदकगण उक्त अराजियात के खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है । प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर होने के कारण आवेदकगण को अपूर्णिय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। अनावेदक संख्या 1 एक गरीब व्यक्ति है जो उक्त भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाकर उक्त भूमि में आवश्यक सुधार करना चाहता है ताकि उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

घोषण कर सके। आवेदकगण ने वादपत्र गलत आधारों पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने का किया है, जबकि इनका पैत्रिक हिस्सा 1/7, 1/7 बनता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम टोडी के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.5662 है0 की खातेदारी जीवणराम पुत्र नाराणाराम जाति कुम्हार सा0 गुढा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। आवेदक ने विवादित भूमि में अपना हक हिस्सा 1/2 बताया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर आवेदकगण के उक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। चूंकि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा में वादपत्र विचाराधीन चल रहा है तथा हक हकुक का निर्णत तो वादपत्र की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। नियमानुसार रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द करवाने का आवेदकगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त विवेचन से आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है तथा प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु ही आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 30.8.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner